लोक-सुनवाई की सूचना

मे0 मगध इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, सिमली मुरारपुर, अब्दुल रहमानपुर रोड, महात्मा गाँधी सेतु रोड, दीदारगंज, पटना द्वारा क्षमता विस्तार का प्रस्ताव है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 के आलोक में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत किया गया है तथा लोक-सुनवाई की जानी है।

इस क्षमता विस्तार परियोजना के तहत् वर्तमान री-रॉलिंग मिल को वर्तमान क्षमता 60,590 मीट्रिक टन/वर्ष से बढ़ाकर 2,50,000 मीट्रिक टन/वर्ष करने का प्रस्ताव है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें सम्भावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा योजना के कार्यपालक सार की प्रति जिला पदाधिकारी, पटना, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पर्षद्, पटना एवं जिला उद्योग केन्द्र, पटना के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं टीका-टिप्पणी इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में जमा कर सकते है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई जिला-पटना में निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक	समय	लोक-सुनवाई का स्थल
27.07.2019	अपराह्न 12:30 बजे	वार्ड कार्यालय, वार्ड नं0-72, रिकाबगंज, कटरा बाजार, दीदारगंज, पटना सिटी, पटना-800008 (लैंड मार्क-दीदारगंज थाना)

सभी आम लोगों/संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई कार्यक्रम में स-समय उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना - 800 010

दूरभाष नं०- 0612-2261250/2262265, फैक्स- 0612-2261050

ई-मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट- http://bspcb.bih.nic.in

कार्यकारी सारांश

मेसर्स मगध इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड

री–रालिंग मिल
का
प्रस्तावित विस्तार

परियोजना स्थल :
सिमली मरारपुर,
अब्दूल रहमान रोड,
महात्मा गॉधी सेतु रोड, दीदारगंज
पटना सिटी, पटना–9

परिचयः–

मगध इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड को 2 जून 2009 को 60590 मीट्रीक टन प्रति वर्ष (एम.एस.वार एवम् टी.एम.टी. वार) उत्पादन हेतु वन एवम् पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु परिवर्त्तन द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मगध इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड ने अपनी उत्पादन क्षमता को 60590 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर प्रस्तावित कूल उत्पादन 2,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम.एस.वार एवम् टी.एम.टी.वार) किये जाने का निर्णय लिया है।

परियोजना स्थल एवं पर्यावरणीय संवेदनशीलता :–

➢ परियोजनास्थल	सिमली मरारपुर, अब्दूल रहमान रोड, महात्मा गॉधी सेतु रोड, दीदारगंज पटना सिटी, पटना–9
➢ आक्षांश	***25°34'21.86"N से 25°34'27.18"N***
➢ देशांतर	***85°14'43.03"E से 85°14'47.30"E***
➢ समूद्रतल से उंचाई	*54 मीटर*
➢ प्लांट का कुल क्षेत्रफल	*8.03 एकड़ (3.24 हे0)* *(वर्त्तमान 2.81एकड़ एवं अलग से 5.22 एकड़)*
➢ निकटतम रेलवे स्टेशन	*पटना साहिब (1.5 किलोमीटर)*
➢ निकटतम राजमार्ग	***NH – 30***
➢ निकटतम मुख्य शहर	*पटना जिला मुख्यालय*
➢ निकटतम नदी	*गंगा (1.15 किलोमीटर)*
➢ राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षितवन	*10 कि०मी० के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं*
➢ वन्य प्राणी अम्यारण्य	
➢ बायोस्फियररिजर्व, पर्वत, घाटियॉ	

परियोजना सारांश :–

परियोजना	परियोजना की वर्तमान क्षमता 60590 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 250000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम.एस.वार एवं टी.एम.टी. वार) स्वीकृति किये जाने के विस्तारण परियोजना।
परियोजना स्थल	सिमली मरारपुर, अब्दूल रहमान रोड, महात्मा गॉधी सेतु रोड, दीदारगंज पटना सिटी, पटना–9

परियोजना प्रस्तावक	मगध इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड			
	प्रतिक्रिया युनिट	वर्तमान	प्रस्तावित	कुल क्षमता
	री–रोलिंग मिल (टी.एम.टी. वार एवं एम.एस.वार)	**60590** टन प्रतिवर्ष	**189410** टन प्रतिवर्ष	**250000** टन प्रतिवर्ष विस्तार के बाद
उत्पाद	उत्पादन		कुल क्षमता	
	(टी.एम.टी. वार एवं एम.एस.वार)		**250000** टन प्रतिवर्ष	
कच्चा माल	समान		कुल क्षमता	
	एम.एस. ईन्गोट/विलेट 256688 मीट्रीक टन		झारखंड राज्य से आयात किया जाता है।	
भूमि	कुलभूमि क्षेत्र : 3.24 हे0 (8.03 एकड़) भूमि में(वर्त्तमान में 2.81 एकड़ है तथा अलग से 5.22 एकड़ जमीन क्रय किया गया, परियोजना विस्तारण हेतु) भूमि का 33% क्षेत्र 2.65 एकड़ भूमि को हरितपट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा।			
परियोजना लागत	₹5413.31लाख़			
पूरक जल	आवश्यकता : 57 किलो लीटर प्रतिदिन स्रोत : वर्त्तमान बोरवेल			
विद्युत	आवश्यकता : 7500 किलो वाट स्रोत : बी.एस.ई.बी. के माध्यम से			
पर्यावरणीय प्रभाव आकल अधिसूचना 2006 के प्रयोज्यता	वर्ग 'बी' {3(ए): धातु कर्म उद्योग (लौह और गैर लौहमय)			

आधार भूत पर्यावरणीय अध्ययन

विभिन्न पर्यावरणीय मानकों के उत्पन्न आधार भूत तथ्य प्रस्तावित स्थल के 10 किमी के दायरे में जनवरी–मार्च 2019 के दौरान किया गया था और निष्कर्ष नीचे प्रस्तुत की जा रही है।

<u>मौसमः–</u>

अध्ययन अवधि के दौरान दैनिक औसत तापमान 9–30 डिग्रीसेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था। मार्च 2019 के दौरान अधिकतम तापमान 30.6 डिग्रीसेल्सियस रहा तथा जनवरी 2019 के दौरान न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्रीसेल्सियस रहा।

अध्ययन के दौरान सापेक्ष आर्द्रता 58–64% के सीमा में पाया गया। औसत सापेक्ष आर्द्रता 57.1% दर्ज की गई।

अध्ययन अवधि के दौरान वर्षा नहीं दर्ज की गई।

<u>वायु :–</u>

परिवेश वायु गुणवत्ता की निगरानी 8 स्थानोंपर की गयी है। सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है।

क्रम सं	स्थानकानाम	24 घंटा का औसत घनत्व (माइक्रोग्राम /घन मी)									
		पी. एम 10		पी. एम 2.5		सलफरडाइऑक्साईड		नाइट्रोजेनडाइऑक्साईड		कार्बनमोनोक्सराईड	
		न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.
A 1	परियोजनास्थल	73	112.2	31.1	49.6	16.6	26.7	21.2	37.6	0.18	0.82
A 2	सबलपुर	80.9	120.2	47.8	71.0	22.3	32.7	31.0	46.1	0.24	1.12
A 3	महुली	57.4	75.54	34.5	43.2	17.3	24.1	22.8	32.9	0.14	0.67
A 4	फतेहपुर	82.5	119.7	47.8	71.2	21.2	30.4	31.0	45.5	0.24	1.12
A 5	गोपालपुर	81.2	119.2	46.1	72.1	22.3	33.1	31.0	45.2	0.24	1.17
A 6	रामकृष्णनगर	57.4	74.5	34.5	44.5	17.3	25.0	23.7	33.9	0.16	0.70
A 7	सादिकपुर	70.1	90.1	43.7	56.1	17.9	27.6	24.6	37.7	0.15	0.77
A 8	रानीपुर	85.3	132.0	47.0	72.2	15.2	30.1	27.8	40.4	0.33	1.67

निलंबित धूलकण, पी.एम. 10, पी.एम. 2.5, सलफरडाइऑक्साईड, नाइट्रोजनडाइऑक्साईड एवं कार्बन मोनोक्साईड मध्यम धनत्व क्रमशः 57.4–132 माइक्रोग्राम/घन मी. 31.1–72.2 माइक्रोग्राम/घन मी. 15.2–33.1 माइक्रोग्राम/घन मी. 21.2–46.1 माइक्रोग्राम/घन मी. और 0.14–1.67 माइक्रोग्राम/घन मी. के बीच पायी गयी है।

पानी :–

8स्थानों से भूमिगतजल के नमूने एकत्र कियेगयेहैं एवंदोस्थान से सतहीजल के नमुने एकत्र कियेगयेहैं।

क्रमसं०	स्थानकानाम
GW1	परियोजना स्थल
GW2	सबलपुर
GW3	महुली
GW4	फतेहपुर
GW5	गोपालपुर
GW6	रामकृष्णनगर
GW7	सादिकपुर
GW8	रानीपुर
SW1	गंगा नदी (अपस्ट्रीम)
SW2	गंगा नदी (डाउनस्ट्रीम)

8 स्थानों से भूमिगत जल के नमूने एकत्र किये गये हैं एवं दो स्थान से सतही जल के नमुने एकत्र किये गये हैं और परीक्षित परिनाम अनुमेय सीमा के भीतर है।

सभी पानी के नमूने सहमत स्वाद मे रहे थे। सभी पानी के नमूनों का रंग 5 हैजेन यूनिट से कम पाया गया । सभी पानी के नमूनों की गंध स्वीकार्य थी।

फ्लोराइड और बोरान के कारण पानी के नमूने दूषित होने से मुक्त पाए गए। पानी के नमूनो में घुलनशील ठोस स्तर 336–358 मिलीग्राम/लिटर की सीमा मे पाए गए जो कि अनुमेय सीमा के अंदर है। गोपालपुर से पानी का नमूना टीडीएस था जबकि अधिकतम फतेहपुर में पाया गया था।

क्लोराइड 12–24 मिलीग्राम/लीटर की सीमा में पाए गए। सल्फेट्स 16.8–24.8 मिलीग्राम/लीटर की सीमा में पाए गए थे। कुल कठोरता का मान 200–252 मिलीग्राम/लीटर की सीमा में पाया गया था। कुल क्षारीयता मान 214–257 मिलीग्राम/लीटर की सीमा में थे। लोहे के मान 0.14–0.27 मिलीग्राम/लीटर और जस्ता के मान 0.16–0.39 मिलीग्राम/लीटर की सीमा में है।

अन्य सभी मापदंडों को पीने के पानी के लिए निर्धारित IS 10500:2012 की अनुमेय सीमा के भीतर ही पाया गया है।

ध्वनि :–

8 स्थानों पर ध्वनिस्तर की जाँच की गयीहै।

क्रमसं०	स्थानकानाम
N1	परियोजना स्थल
N2	सबलपुर
N 3	महुली
N 4	फतेहपुर
N 5	गोपालपुर
N 6	रामकृष्णनगर
N 7	सादिकपुर
N 8	रानीपुर

विभिन्न स्थानों पर दर्ज किये गये ध्वनि स्तर निर्धारित अनुमेय स्तर के भीतर हैं।

पारिस्थिति विज्ञान :–

स्थानीय वनस्पतियों और पशु वर्ग मूल्यांकन करने के लिये एक आधर भूत सर्वेक्षण की गयी है।

सामाजिक अर्थव्यवस्था :–

अध्ययन क्षेत्र में से ज्यादात्तर जगह शहरी और घनी प्रकार की आबादी है तथा 2011 जनगणना पे आधरित कुल जनसंख्या लगभग 1771140 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्रमशः 163676 और 5185 है। लिंग अनुपातप्रति 1000 पुरूषों में 884 महिलायें है।

मुख्य भाषा हिन्दी है। पीने के पानी की आपूर्त्ति प्राथमिकता से वेद कूप और नलकूप के पानी से की जाती है। अध्ययन क्षेत्र के भीतर सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल है।इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें भी उपलब्ध है। घरेलू, कृषि, उद्योग और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजनों के लिये विद्युत की आपूर्त्ति किये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में विद्युत एव टेलीफोन के सुविधायें उपलब्ध है।

पर्यावरणीय प्रभाव और संचालन योजना

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय :–

प्रस्तावित विस्तार परियोजना के उद्गम स्थानों के वायु प्रदूषण से निपटने के लिये, प्रस्तावित संयंत्र में और साइक्लोन तथा बैग फिलटर स्थापित किया जायेगा। कच्चे माल स्थानांतरण क्षेत्र, लदान और उतराई क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र में भगोड़ा उत्सर्जन को कम करने के लिए, प्रस्तावित संयंत्र चारों ओर हरितपट्टी का विकास किया जाएगा तथा पानी का झिड़काव किया जाएगा।

अपशिष्ट जल उपचार :–

प्रस्तावित विस्तार परियोजना में किसी तरह के औद्योगिक अपशिष्ट जल का उत्सर्जन नहीं होगा। केवल घरेलू अपषिष्ट जल उत्पन्न होगा जो कि सेप्टिक टैंक के माध्यम से परिसर के अन्दर शोक–पिट में निषपादन किया जाएगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः–

ठोस अपशिष्ट	मात्रा	प्रबंधन
1. ईन्ड कटिंगस	10000 टन प्रतिदिन	इंग्नोट उत्पादक को दिया जाएगा पुनः उत्पादन के लिए।
2. कार्बन स्लैग	5000 टन प्रति वर्ष	ईट उत्पादक को दिया जाएगा पुनरावृति के लिए।

पर्यावरण प्रबंधन योजनाः–

वर्तमान भूमिका 33% क्षेत्र भूमि को हरितपट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित विस्तार परियोजना में पर्यावरण प्रबंधन हेतु 90 लाख रूपये आवंटित किये गये हैं। सी०ई०आर० गतिविधि के अन्तर्गत 385 लाख रूपये समाज कल्याण हेतु चरणबद्ध तरीके से खर्च किये जायेंगे।

उपसंहार

- ❖ प्रस्तावित विस्तार परियोजना के कारण किसी भी तरह के प्रदूषित जल उत्पन्न नहीं होगा।
- ❖ भूजल के परिमाण IS 10500:2012 के अनुरूप हैं।
- ❖ परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित सीमा के अंदर हैं।
- ❖ परिवेशीय ध्वनि स्तर औद्योगिक क्षेत्र के निर्धारित सीमा के अंदर हैं।
- ❖ ठोस कचरा की प्रबंधन के लिए समुचित व्यवस्था कि जाएगी।

प्रस्तावित शमन उपायो को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विस्तार परियोजना के वजह से मौजूदा माहौल में कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव होगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना को प्रभावी रूप से सांविधिक सीमा के साथ पालन करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। कुल मिलाकर, ये परियोजना के प्रस्ताव पर्यावरणीय प्रभावों सहित संभावित आर्थिक एवं सामाजिक खाते में विकास लेने योग्य हैं।

«* * * * *»